न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2018 G.C.M.S. No. 2018/00005 दर्ज दिनांक : 03.01.2018

अपीलार्थिगण:

1. नारायणसिंह पुत्र चतुर्भुज, उम्र 58 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. भंवरसिंह पुत्र चतुर्भुज, उम्र 50 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली हाल मुम्बई
3. मृत छोगसिंह पुत्र चतुर्भुज के कायम मुकामातः—
   - 3/1 शांतिदेवी पत्नि स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/2 प्रेमसिंह पुत्र स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/3 महेन्द्रसिंह स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/4 दिलीपसिंह स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/5 हीरसिंह स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/6 सुरेन्द्रसिंह स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   - 3/7 मीना पुत्री स्व. छोगसिंह, जाति पुरोहित, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हेमसिंह पुत्र अनोपसिंह, उम्र 70 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) राजस्थान सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2008 बअनवान छोगसिंह के का.मु. शांतिदेवी वगैरह बनाम हेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नंदकिशोर बंसल, श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

40/2008 बअनवान छोगसिंह के का.मु. शांतिदेवी वगैरह बनाम हेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली लगभग एक वर्ष पूर्व दिनांक 15.6.16 को तत्समय के न्याय आपके द्वार कैम्प सुमेर में प्रस्तुत हुई थीं, पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं होने से पत्रावली दिनांक 13.7.16 को एडमिशन डिनायल एवं तनकियात हेतु न्यायालय में नियत की थी। इसी दौरान वादीगण के अधिवक्ता का देहावसान हो जाने से एवं अधिवक्ता श्री सुधीर श्रीमाली को नियुक्त किया गया था, पत्रावली दिनांक 18.5.17 तक लगातार नियत रही एवं तत्पश्चात् कोई आदेशिका नहीं लिखकर पुनः कैम्प में रखी एवं कैम्प में गुणावगुण पर निर्णय के रूप मे निर्णय लिखाया गया। एक बार राजस्व कैम्प में राजीनामा होने की संभावना नहीं होना अंकित कर पत्रावली न्यायालय में नियत होने के बाद दूसरी बार पुनः कैम्प में एवं राजीनामा हेतु रखे जाने का कोई प्रश्न सामान्य समझ से भी नहीं था। इसके अलावा राजस्व लोक अदालत कैम्प में मात्र समझाईश के आधार पर एवं राजीनामे के आधार पर ही निर्णय करने की विधि सामान्य प्रज्ञा से है। इस अनुरूप निर्णय नहीं होने पर पत्रावली न्यायालय में सुनवाई हेतु ही नियत की जानी थी, जो प्रक्रिया नहीं अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया ही विधि एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रक्रिया एवं कार्यवाही होने से पारित निर्णय हर दृष्टि से खारिज होने योग्य है। कथित दिनांक 10.6.17 को वादी संख्या दो व प्रतिवादी संख्या दो की उपस्थिति मात्र लिखी गई हैं। न तो राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी का उपस्थित होना लिखा गया है, न ही अन्य वादीगण का उपस्थित होना, न ही प्रतिवादी संख्या एक का उपस्थित होना आदेशिका में ही अंकित किया गया है। सभी पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में न तो प्रकरण में कोई सुनवाई कैम्प में किए जाने योग्य थीं एवं न ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता था। पत्रावली में दिनांक 18.5.17 के बाद की कोई आदेशिका नहीं हैं, कोई नोटिस जारी करने की ही स्थिति ही वर्णित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से ही स्पष्ट है कि किसी पक्ष की गुणावगुण पर कोई सुनवाई नहीं की गई, मात्र वादी संख्या दो एवं प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन करने व न्यायालय रेकर्ड का अवलोकन करने व अभिलेख की साक्ष्य अनुरूप गुणावगुण पर निर्णित करना उचित प्रतीत होने की अवधारणा करते हुए विस्तृत निर्णय पृथक से लिखे जाने का निर्णय पारित किया है। बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए, बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिए, तनकीयात के लिए नियत पत्रावली में बिना कोई तनकीयात निर्मित किए, निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने की न तो कोई प्रक्रिया है व न ही कोई विधि हैं। इसके अतिरिक्त कथित कैम्प की कार्यवाही में वादी संख्या दो नारायणसिंह उपस्थित हुआ था, जिनके द्वारा अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में एवं स्वयं को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहने के कोई अवसर नहीं होने से एवं कैम्प में मात्र पक्षकारों के बीच में समझाईश की बात होने से कोई कार्यवाही उचित नहीं होने एवं विपक्षी के अधिवक्ता होने पर वादी की ओर से अधिवक्ता को उपस्थित रखने हेतु समय प्रदान करने एवं रेकर्ड आदि के संबंध में वादी द्वारा समस्त स्थिति प्रकट किए जाने हेतु तत्काल कोई कार्यवाही नहीं किए जाने एवं दूसरे दिन नियत किए जाने हेतु निवेदन किया था, परन्तु दूसरे दिन कैम्प नहीं होना बताकर तारीख पश्चात्वर्ती रूप से सूचित किया जाना एवं कोई कार्यवाही नहीं किया जाना जाहिर किया था तथा आगामी पेशी सूचना–पत्र से सूचित होने के लिए निर्देशित कर रखा था, परन्तु अब एकाएक उक्त निर्णय की जानकारी अधिवक्ता को दिनांक 15.9.17 को हुई, जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 29.9.17 को नकल प्राप्त हुई, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी नारायणसिंह को तत्काल मुम्बई से देसूरी आने हेतु सूचित किया। अपीलार्थी तत्काल दिनांक 06.10.17 को देसूरी पहुंचा, वहां से पत्रावली लेकर अधिवक्ता से पाली आकर संपर्क किया एवं तत्काल यह अपील प्रस्तुत करवा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2017 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 09.10.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 10.6.17 को वादी संख्या दो व प्रतिवादी संख्या दो की उपस्थिति मात्र लिखी गई हैं। न तो राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का उपस्थित होना लिखा गया है, न ही अन्य वादीगण का उपस्थित होना, न ही प्रतिवादी संख्या एक का उपस्थित होना आदेशिका में ही अंकित किया गया है। सभी पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में न तो प्रकरण में कोई सुनवाई कैम्प में किए जाने योग्य थीं एवं न ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता था। पत्रावली में दिनांक 18.5.17 के बाद की कोई आदेशिका नहीं हैं, कोई नोटिस जारी करने की ही स्थिति ही वर्णित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से ही स्पष्ट है कि किसी पक्ष की गुणावगुण पर कोई सुनवाई नहीं की गई, मात्र वादी संख्या दो एवं प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन करने व न्यायालय रेकर्ड का अवलोकन करने व अभिलेख की साक्ष्य अनुरूप गुणावगुण पर निर्णित करना उचित प्रतीत होने की अवधारणा करते हुए विस्तृत निर्णय पृथक से लिखे जाने का निर्णय पारित किया है। बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए, बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिए, तनकीयात के लिए नियत पत्रावली में बिना कोई तनकीयात निर्मित किए, निर्णय पारित करने की न तो कोई प्रक्रिया है व न ही कोई विधि हैं। इसके अतिरिक्त कथित कैम्प की कार्यवाही में वादी संख्या दो नारायणसिंह उपस्थित हुआ था, जिनके द्वारा अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में एवं स्वयं को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहने के कोई अवसर नहीं होने से एवं कैम्प में मात्र पक्षकारों के बीच में समझाईश की बात होने से कोई कार्यवाही उचित नहीं होने एवं विपक्षी के अधिवक्ता होने पर वादी की ओर से अधिवक्ता को उपस्थित रखने हेतु समय प्रदान करने एवं रेकर्ड आदि के संबंध में वादी द्वारा समस्त स्थिति प्रकट किए जाने हेतु तत्काल कोई कार्यवाही नहीं किए जाने एवं दूसरे दिन नियत किए जाने हेतु निवेदन किया था, परन्तु दूसरे दिन कैम्प नहीं होना बताकर तारीख पश्चात्वर्ती रूप से सूचित किया जाना एवं कोई कार्यवाही नहीं किया जाना जाहिर किया था तथा आगामी पेशी सूचना–पत्र से सूचित होने के लिए निर्देशित कर रखा था, परन्तु अब एकाएक उक्त निर्णय की जानकारी अधिवक्ता को दिनांक 15.9.17 को हुई, जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 29.9.17 को नकल प्राप्त हुई। अतः विलंब सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से घटित होना साबित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना पत्रावली दिनांक 10.06.2017 को लोक अदालत कैम्प सुमेर में नियत कर पक्षकारान को सूचित किए बिना एवं पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा निष्पादन व प्रस्तुत किए बिना एवं समस्त पक्षकारान के उपस्थित हुए बिना एवं प्रकरण में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2017 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादपत्र खारिज किया गया।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में पारित निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

5. अपीलाधीन निर्णय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश आदेश 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल के संगत विधिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना पारित किया गया है। जो दूषित व त्रुटिपूर्ण होने से समर्थन योग्य नहीं हैं।

6. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2008 बअनवान छोगसिंह के का.मु. शांतिदेवी वगैरह बनाम हेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल के संगत विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.01.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली